

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
कीतामील में जारी हु

16-04-18

वकील गार्गीगंग उपास्थित / अपार्षी सं. 11 से 13 के नोटिस पर गाम गौहाना में न्विवास नहीं करने की रिपोर्ट प्राप्त। अतः वकील गार्गीगंग को नोटिस तलवाना पेश करे जो पेश होने पर जारी हो। वकील गार्गीगंग को पूर्व पेशी पर और शिफ्ट किए जाने के बावजूद अपार्षी सं. 14 व 15 के नोटिस के कामम मुकाम के सम्मन तलवाना पेश नहीं किए, उन्हें न्यायहित से एक अतिरिक्त अवसर इस दिहापत के दिहा जाता है कि तीन दिवस से उपानुसार नोटिस/सम्मन आधारिक रूप से पेश करने अन्याय प्रवृत्त अहम तलवाना से खारिज किया जाएगा। मिसल दि. 15-5-18 को पेश हो।



पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

27-4-18

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज नम्बर पर दिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल कैम्प गौहाना में दिनांक 15-5-18 को पेश हो।

पीयूष समारिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

15-5-18
K...
महेश्वरी
राजवद्वारा
हुकम रि...
रुवरी

पत्रावली द्वारा राजस्व लोक अदालत, कैम्प कोर्ट गौहाना में पेश हुई। पक्षकारान उपास्थित। मजिस्ट्रेट काम में उपास्थित पक्षकारान को सुना गया जिनमें कोई आपसी सहमति नहीं बनी। पत्रावली व मुल प्रकरण सं. 165/11 को दि. 8-6-15 को न्यायालय के दौरेकों की पापना नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया था। वर्तमान रेसॉरेशन की पत्रावली में भी क्षीयवत्ता गार्गीगंग ने नोटिस पेश नहीं किए तथा इस बाबत दि. 16-4-18 को उन्हें दिहापत भी दी गई है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान में सहमति भी नहीं बनी है। उपास्थित पक्षकारान में ऐसी स्थिति में न्यायालय के दौरेकों की पापना अभी भी पूर्णतया नहीं की जा रही है। अतः अहम तलवाना स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल दिनांक सुमार गौहाना नम्बर से जम हो।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

बन्धुसिंह
मि. रू. दि.
कालूरी
हजार
मीनारि
गोपाल
जगदिर
दिनेश
पंचम
अनीप
Khotsing